इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2013—श्रावण 7, शक 1935

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 32-18-2013-मध्यम-इकतीस-763.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में,

(एक) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) **सामान्य कार्य और संधारण संकर्म की पहचान-भागीदारिता वाक-थ्रू.**—सभापति (चेयरपर्सन)/अध्यक्ष, प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र के भीतर भागीदारिता वाक-थ्रू आयोजित करेंगे और उन समस्त खतरनाक प्रभाव क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें कि उपरोक्त सूची के अनुसार मरम्मत की तुरन्त आवश्यकता है. सक्षम अधिकारी, हाथ में लिए जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची तैयार करने में कृषक संगठन की सहायता करेगा.".

(दो) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(7) **तकनीकी निर्बाधन**. (क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी निर्बाधन देने के लिए शक्तियां निम्नानुसार हैं :—

(एक) **विशेष मरम्मत**—

(क) कार्यपालन यंत्री	रुपये 1,00,000/- तक
(ख) अधीक्षण यंत्री	रुपये 10,00,000/-तक
(ग) मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्ति

(दो) **सामान्य मरम्मत—**

(क) उपयंत्री (सक्षम प्राधिकारी)	रुपये 20,000/- तक
(ख) सहायक यंत्री	रुपये 50,000/-तक
(ग) कार्यपालन यंत्री	कृषक संगठन को उपलब्ध कराई गई निधि के भीतर पूर्ण शक्ति.

(ख) सक्षम प्राधिकारी, अपने से निम्नतर प्राधिकारी में निहित तकनीकी निर्बाधन प्रदान कर सकेगा.

(ग) सक्षम प्राधिकारी, नियमों से अनुलग्न प्ररूप-1 में तकनीकी निर्बाधन के रजिस्टर में समस्त तकनीकी निर्बाधन अभिलिखित करेगा.

(घ) तकनीकी निर्बाधन प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होगा.

(ङ) जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति और परियोजना समिति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी खण्ड (क) में उल्लिखित वित्तीय शक्तियों के अनुसार उसके नियंत्रणाधीन किसी समुचित अधिकारी द्वारा दी जाने वाली तकनीकी निर्बाधन कारित करवायेगा.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जी. चौबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 32-18-2013-मध्यम-इकतीस-763.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 32-18-2013-मध्यम-इकतीस-763, दिनांक 29 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जी. चौबे, सचिव.

Bhopal, the 29th July 2013

No. 32-18-2013-MIDIUM-XXXI-763.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmer's Organisation Rules, 1999, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 7,—

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) **Identification of normal operation and maintenance works participatory walk-through.—** The Chirperson/President along with the Managing Committee members shall organise a participatory walk-through within the area of operation of the Farmers' Organisation and identify all the critical reaches, which need immediate repair as listed out above. The competent authority shall assist the Farmers' Organisation in preparation of detailed list of works to be undertaken.";

(ii) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(7) **Technical clearance.**—(a) The powers for giving technical clearance by the Competent Authority shall be as follows :—

(i)	Special repairs—	
	(a) Executive Engineer	Upto Rs. 1,00,000/-
	(b) Superintending Engineer	Upto Rs. 10,00,000/-
	(c) Chief Engineer	Full power
(ii)	Ordinary repair—	
	(a) Sub-Engineer (Competent Authority)	Upto Rs. 20,000/-
	(b) Assistant Engineer	Upto Rs. 50,000/-
	(c) Executive Engineer	Full power within the funds provided to Formers Organisation.

(b) A Competent Authority may accord technical clearance vested in a authority lower than him.

(c) The Competent Authority, shall record all the technical clearances in the register of technical clearance in Form-I appended to the rules.

(d) The technical clearance shall not exceed the administrative approval.

(e) In respect of a Water User Association, Distributory Committee and Project Committee, the Competent Authority may cause the technical clearance to be given by an appropriate officer under his control as per the financial powers mentioned in clause (a).".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. G. CHOUBEY, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.